

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: प.2(1012)सूप्रौ/संस्था/2012/पार्ट-1/857

जयपुर, दिनांक 20/12/21

**कार्यालय आदेश**

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट-1 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए विभाग में पदस्थापित तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव को विभाग से संबंधित राज्य लेखा नियमों के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया हुआ है, जिसके क्रम में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Powers), कार्यालयाध्यक्ष की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए, ग्रुप-111 में पदस्थापित निम्नलिखित अधिकारियों को निम्न विवरणानुसार कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है :-

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम व पदनाम                                         | कार्यों का विवरण, जिनके प्रत्यायोजन (Delegation) के संबंध में अधिकारी को हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | श्री वेद प्रकाश यादव,<br>सिस्टम एनालिस्ट<br>(संयुक्त निदेशक)   | <b>स्टोर शाखा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>भण्डार शाखा से संबंधित स्टॉक रजिस्टर।</li> <li>स्टोर में वस्तुओं की किफायती खरीद और उनके उचित लेखांकन और रखरखाव/सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधी कार्य इत्यादि।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2       | श्री राजीव लुहाड़िया,<br>एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक) | <b>पूल शाखा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>टैक्सी वाहन/मालिक को जारी किया जाना वाला कार्यादेश, वाहन मालिक एवं विभाग के मध्य संपादित अनुबंध-पत्र, भुगतान आदेश, पूल में आवंटित टैक्सी वाहन की लॉग-बुक का प्रमाणीकरण/सत्यापन स्वीकृति।</li> <li>गृह विभाग से संविदा पर कार्यरत होमगार्ड के कार्यादेश, अनुबंध-पत्र एवं भुगतान आदेश स्वीकृति इत्यादि।</li> </ul> <b>आईटी बिल्डिंग शाखा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लिफ्ट, बागवानी, सुरक्षा व्यवस्था, एसी रखरखाव, आरओ प्यूरिफायर एवं इनके वार्षिक रखरखाव इत्यादि से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाले कार्यालय आदेश, अनुबंध-पत्र, भुगतान आदेश इत्यादि।</li> </ul> |
| 3       | श्री राजेश असावा,<br>एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर<br>(उप निदेशक)     | <b>संस्थापन शाखा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>अराजपत्रित एवं मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के सर्विस बुक सत्यापन, वेतन एवं भत्तों से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाले कार्यालय आदेश, भुगतान आदेश इत्यादि।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

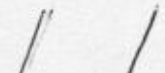
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, पार्ट-1 के नियम 3 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
 (सुनील छाबड़ा)  
 तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री वेद प्रकाश यादव, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) एवं प्रभारी अधिकारी (स्टोर्स), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. श्री राजीव लुहाड़िया, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. श्री राजेश असावा, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
 तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव